उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–16
संख्या–2903 / 6–पु–16–2016–1100(6) / 2013
लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 एवं उ0प्र0 आपदा प्रबन्ध अधिनियम–2005 के प्रावधानानुसार उ0प्र0 आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण (स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति–2009 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) की भाँति उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु श्री राज्यपाल, एक विशिष्ट बल के रूप में राज्य आपदा मोचन बल (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्य आपदा मोचन बल (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) के गठन एवं संचालन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फन्ड) में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का 10 प्रतिशत विशेषीकृत उपकरणों (स्पेशलाइज्ड इक्यूपमेन्टस्) के कय हेतु किया जा सकेगा।

3– राज्य आपदा मोचन बल (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) उ0प्र0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के प्रशासनिक नियत्रंण में रहेगा।

देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. निदेशक (डीएम–1), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0–37–1/2007/एनडीएम–।।(एसओ), दिनांक 12–07–2016 के सन्दर्भ में।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।